UPAU010040632016

न्यायालय विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम/
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, औरैया
उपस्थितः–पारूल जैन, (उच्चतर न्यायिक सेवा) J.O. Code UP–2391
विशेष वाद संख्या–702/2016

राज्य बनाम रामलखन

मुकदमा अपराध संख्या–**34/2016**
धारा–**138 बी भारतीय विद्युत अधिनियम**
थाना–**बिधूना**, जिला–औरैया

दिनांक–12.03.2026

1. पत्रावली पेश हुयी। अभियुक्त रामलखन के सम्मन पर आख्या प्राप्त हुयी है कि मौके पर उनके पुत्र लालजी मौजूद मिले उनके द्वारा बताया गया कि उनके पिता रामलखन उपरोक्त की मृत्यु लगभग वर्ष 1994 में हो गयी थी। इस सम्बन्ध में ग्राम प्रधान की तहरीर संलग्न है। सत्यापनकर्ता **उपनिरीक्षक राजेश कुमार** का बयान न्यायालय में अभिलेखित किया गया कि उसे उपरोक्त प्रकरण से सम्बन्धित न्यायालय का आदेश दिनांकित 07.02.2026 प्राप्त हुआ था। उसने न्यायालय के आदेश पर अभियुक्त रामलखन के सम्बन्ध में उसके घर जाकर जांच की तो उसके पुत्र लालजी ने बताया कि रामलखन उसके पिता थे तथा उसकी मां का नाम रामजानकी था। रामलखन की मृत्यु सन 1994 में हो गयी थी तथा मां की मृत्यु काफी पहले हो चुकी है। इस सम्बन्ध में उसने ग्राम प्रधान सुशीला देवी ग्राम पंचायत देवराव के लैटर पैड पर लिखित प्रमाणपत्र भी प्राप्त किया था। ग्राम प्रधान सुशीला देवी ने भी उसे बताया था कि रामलखन पुत्र माधव प्रसाद उसके ग्राम के निवासी थे। उनकी मृत्यु सन 1994 में हो गयी थी तथा रामलखन की पत्नी का नाम रामजानकी था। रामजानकी की भी मृत्यु 2014 में हो चुकी है। ग्राम प्रधान सुशीला देवी का दिया हुआ प्रमाणपत्र पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 10 ख/2 उसकी रिपोर्ट के साथ संलग्न है। ग्राम प्रधान के प्रमाणपत्र व रामलखन के पुत्र लालजी के बताने के उपरान्त व इसी आधार पर उसने अपनी रिपोर्ट न्यायालय के आदेश दिनांक 10 ख/1 के पुस्त पर दी है। उसने अपनी रिपोर्ट में रामलखन की मृत्यु लगभग वर्ष 1994 में होना अंकित किया है। उसने अपनी रिपोर्ट पर रामलखन के लड़के लालजी का मोबाइल नम्बर भी अंकित किया है। लालजी ने अपना मोबाइल नम्बर 9997586724 बताया था। वह अपनी रिपोर्ट की पहचान पुष्टि करता है जिस पर प्रदर्श C–1 डाला गया।

2. न्यायालय के समक्ष सी.डब्लू.–1 राजेश कुमार द्वारा दिये गये साक्ष्य में यह ज्ञात हुआ है कि विद्युत विभाग द्वारा एक मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। रामलखन की मृत्यु सन 1994 में होने का कथन किया गया है एवं रामलखन की पत्नी रामजानकी की मृत्यु सन 2014 में होने का कथन किया गया है। पत्रावली पर कागज संख्या 10 ख/2 में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत देवराव, वि०ख० अछल्दा–औरैया द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि रामलखन पुत्र माधौप्रसाद निवासी ग्राम देवराव वि०ख० अछल्दा जनपद औरैया के मूल निवासी है। इनकी मृत्यु सन 1994 में हो गयी है। इनके बारे में उसे जानकारी नहीं है। वह इन लोगों को भलीभांति से जानती है। उक्त प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 27.01.2016 को अंकित की गयी है उस दिन रामलखन एवं रामजानकी जीवित नहीं थे। विद्युत विभाग द्वारा घोर लापरवाही की गयी है एवं झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है।

3. इस प्रकार स्पष्ट है कि अभियुक्त रामलखन की मृत्यु वर्ष 1994 में हो चुकी है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमे की कार्यवाही उपशमित की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(पारूल जैन)
विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम/
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
औरैया।

Digitally signed by PARUL JAIN
Date: 2026.03.12 15:22:02 IST
Reason: Document Owner
Location: Additional District and Sessions Court-1,Auraiya